


क्र.सं.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1	115.1	कार्यकारी समिति की 114 वीं बैठक दिनांक 18.04.2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पुष्टि किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।		
2	115.2	जविप्रा द्वारा अनुमोदित न्यूपिक सिटी गृ.नि.स.स. की योजन सिद्धार्थ नगर के भूखण्ड सं. ई-66 क्षेत्रफल 311.11 वर्ग भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (श्रीमति सरोज देवी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा भूखण्ड मौके निर्मित होने के कारण सैटबैक में अन्तर की जांच कर आगामी बैठक में पेश किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-1	
3	115.3	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम डाबला बुजुर्ग तहसील फागी के ख.नं. 293, 295, 296, 297, 298, 313, 314, 315 कुल किता 8 रकबा 19.04 है0 भूमि का आवासीय मय व्यावसायिक योजना हेतु भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से मिश्रित प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्री अनिल जलुथरिया)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति प्रकरण में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। प्रकरण राज्य सरकार को दिनांक 7.4.07 को अग्रप्रेषित किया जा चुका है।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
4	115.4	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम श्री किशनपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 503/1, 503, 521/2, 520, 504, 502, 502/1, 518, 518/1, 519, 516/1, 505/1, 517, 522/2 कुल किता 14 रकबा 2.79 है0 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय एवं अन्य नगरीय उपयोग से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्री अशोक अग्रवाल)	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण स्थगित करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में प्राप्त आपत्ति का निस्तारण कर आगामी बैठक में पेश करें।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-9	
5	115.5	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम पीपला भरतसिंह तहसील सांगानेर के ख.नं. 423 से 429, 429/1002 कुल किता 8 रकबा 3.41 है0 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय एवं अन्य नगरीय उपयोग से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्री प्रमोद लोढा व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किया गया। प्रकरण में प्राप्त आपत्तियों का पहले निस्तारण कर आगामी बैठक में पेश किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
6	115.6	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम प्रहलादपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 55, 57, 59, 60, 61, 62 कुल किता 6 रकबा 0.51 है0 भूमि का भू-उपयोग आवासीय क्षेत्र से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (सुमति विल्डकॉन प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किया गया। प्रकरण में प्राप्त आपत्तियों का पहले निस्तारण कर आगामी बैठक में पेश किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
7	115.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम सारंगपुरा तहसील सांगानेर के ख. नं. 443, 444, 412/779, 445, 446, 450/781, 451/780, 819/442, 433, 434, 436, 437, 392, 394, ग्राम बगरूखुर्द तहसील सांगानेर के ख.नं. 491, 448, 462, 478, 836, 871, 461, 463, 823, 842, 831, 881, 473, 422, 425, 436, 394/1017 ग्राम भम्भोरिया तहसील सांगानेर के ख.नं. 125, 126, 114, 113, 134, 148, 159/1306, 145, 152/1316, 144/1317, 372/1318, 373/1319, 146, 152, 142, 143, 147, 149, 151, 371/1, 155, 156, 157, 375, 58, 61, 62, 63, 70, 136, 184 से 194, 284, 285, 287, 288, 17त6, 195 कुल रकबा 31.37 है0 भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्री ओमेवरा कन्साइगन लि)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किया गया। प्रकरण में प्राप्त आपत्तियों का पहले निस्तारण कर आगामी बैठक में पेश किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	बठक मालय गय नप / सुआव	अधिकारी	रिपोर्ट
8	115.8	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम गरियावाला तहसील सांगानेर के ख. नं. 195 की कुल 0.82 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से संस्थानिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (बालाजी चेरीटेबल ट्रस्ट)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति प्रकरण में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई क्योंकि राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 36/06वीं बैठक दिनांक 29.12.06 में सशर्त भू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-9	
9	115.9	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ख.नं. 1916, 1917, 1920, 1927 रकबा 0.64 है० में से 0.63 है० ग्राम सालिगरामपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 319, 320/465, 321, 322/475, 323, 324, 346/468, 347/473, 349/474, 350, 351, 352, 353, 354 रकबा 3.52 है० सम्पूर्ण ग्राम शिवदासपुरा तहसील चाकसु के ख.नं. 509, 511 रकबा 1.90 है० में से रकबा 0.70 है० ख.नं. 147 रकबा 6.22 है० में से 1.56 है० ख.नं. 60 रकबा 8.25 है० में से 0.34 है, ख.नं. 462, 481 रकबा 0.10 है०, में से रकबा 0.04 है० ग्राम रामपुरा बास गोनेर तहसील चाकसू के ख.नं. 75, 76 रकबा 0.31 है० में से 0.15 है०, ग्राम चन्दलाई तहसील चाकसू के ख.नं. 1402, 1405, 1411 रकबा 0.79 है० सम्पूर्ण कुल रकबा 7.73 है० भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ख.नं. 1916, 1917, 1920, 1927 रकबा 0.64 है० में से 0.63 है० ग्राम सालिगरामपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 319, 320/465, 321, 322/475, 323, 324, 346/468, 347/473, 349/474, 350, 351, 352, 353, 354 रकबा 3.52 है० सम्पूर्ण ग्राम शिवदासपुरा तहसील चाकसु के ख.नं. 509, 511 रकबा 1.90 है० में से रकबा 0.70 है० ख.नं. 147 रकबा 6.22 है० में से 1.56 है० ख.नं. 60 रकबा 8.25 है० में से 0.34 है, ख.नं. 462, 481 रकबा 0.10 है०, में से रकबा 0.04 है० ग्राम रामपुरा बास गोनेर तहसील चाकसू के ख.नं. 75, 76 रकबा 0.31 है० में से 0.15 है०, ग्राम चन्दलाई तहसील चाकसू के ख.नं. 1402, 1405, 1411 रकबा 0.79 है० सम्पूर्ण कुल रकबा 7.73 है० भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
10	115.10	ग्राम महल, श्री किशनपुरा एवं जिरोता तहसील सांगानेर की भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आंशिक पार्क एवं ओपन स्पेस एवं संस्थानिक से आवासीय/मिश्रित (औद्योगिक, संस्थानिक व व्यावसायिक) किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम महल, श्री किशनपुरा एवं जिरोता तहसील सांगानेर की भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आंशिक पार्क एवं ओपन स्पेस एवं संस्थानिक से आवासीय/मिश्रित (औद्योगिक, संस्थानिक व व्यावसायिक) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-9	
11	115.11	श्री बी.जी. शर्मा, जोनल अभियन्ता, जविप्रा, जयपुर को मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलोजी, जयपुर में सिविल अभियांत्रिकी विभाग से हाईवे व ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनियरिंग विषय में Ph.D.(part time) वर्ष 2007-2008 कार्यक्रम में भाग लेने हेतु।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्वीकृत किया जाकर अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी आदेश दिनांक 19.4.07 की पुष्टि की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
12	115.12	श्री मानसिंह चौहान, विधि सहायक की प्रतिनियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि हेतु।	श्री मानसिंह चौहान, विधि सहायक की प्रतिनियुक्ति दिनांक 11.4.07 से 28.03.08 तक बढ़ाई जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 4 वर्ष की अवधि के पश्चात् का प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
13	115.13	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम डबला बुजुर्ग तहसील फागी के खसरा नं. 269/1, 269/2 कुल कित्ता 2 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा (1.69 है०) भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (उमेश कुमार नाराणिया व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राजस्व ग्राम डबला बुजुर्ग तहसील फागी के खसरा नं. 269/1, 269/2 कुल कित्ता 2 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा (1.69 है०) में से सड़क सीमा में आने वाली 1724.19 वर्ग मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 15274.19 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)					
14	115.14	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम बीडखातीपुरा तहसील जयपुर के ख.नं. 92/1 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा अर्थात् 20751.25 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (इन्द्र विजय सिंह)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किया गया। निदेशक (आयोजना) द्वारा प्रकरण में पूर्ण जांच कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-7	

क्र.स.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
15	115.15	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के ख.नं. 1723 व 1732/1 रकबा 4 बीघा अर्थात 12100 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण/रूपान्तरण ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने बाबत। (भगवत कृपा कॉमर्शियल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के ख.नं. 1723 व 1732/1 रकबा 4 बीघा अर्थात 12100 वर्ग गज भूमि में से 200 फीट सड़क में आने वाली 1587.48 वर्ग गज एवं एच.टी. लाईन से प्रभावित 2311.10 वर्ग गज भूमि छोड़ते हुये शेष 7850.51 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	
16	115.16	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम नौदड़ तहसील आमेर के खसरा नं. 534, 537, 540, 548, 536, 538, 539, 544, 547, 351, 356, 362, 363, 368, 410, 412, 413, 422, 423, 424, 425, 342, 361, 364, 365, 369, 411, 350, 359, 352, 353, 354, 355, 358, 360, 366, 367, 408, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 426, 427, 428, 6, 15, 20, 28 कुल किता 52 रकबा 22.85 है० में से ख. नं. 15, 20, 28 व 428 को रास्ता न मिलने के कारण इन्हें छोड़ते हुये कुल किता 48 रकबा 21.87 है० का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किया जाना चाहिए था। जबकि पूर्व में कार्यकारी समिति की 114वीं बैठक दिनांक 18.04.07 को प्रेषित एजेण्डा में ख. नं. 352 के स्थान पर 3512 टंकण त्रुटिवश अंकित किया गया था एवं ख.नं. 428 को रास्ता नहीं मिलने के कारा विलोपित किया जाना था। अतः खसरा नं. 428 को विलोपित किये जाकर व खसरा नं. 3152 के स्थान पर 352 पढ़े जाने के शुद्धिकरण किये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण में पूर्व में कार्यकारी समिति की 114वीं बैठक दिनांक 18.04.07 को प्रेषित एजेण्डा में ख. नं. 352 के स्थान पर 3512 टंकण त्रुटिवश अंकित हो गया था एवं ख.नं. 428 को रास्ता नहीं मिलने के कारण विलोपित किया जाना था। अतः खसरा नं. 428 को विलोपित किये जाकर व खसरा नं. 3152 के स्थान पर 352 पढ़े जाने के शुद्धिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	
17	115.17	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम उदयपुरिया तहसील आमेर के खसरा नं. 392, 393, 394, 397, 399, 400, 401, 405, 406, 386, 387, 388, 389, 393/443, 376, 377, 378/467, 384/445, 384, 385, 402, 404, 405/461, 406/462 कुल किता 24 रकबा 10.02 है० अर्थात 100200 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (कुलदीप सिंह)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति प्रकरण में कार्यात्तर स्वीकृति प्रदान की गई क्योंकि प्रकरण राज्य सरकार को आयुक्त महोदय की स्वीकृति से अग्रप्रेषित किया गया है।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	
18	115.18	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम मूण्डला तहसील जमवारामगढ़ के खसरा नं. 3/1, 5/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, व 7/1 कुल किता 9 रकबा 75 बीघा 3 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ईकोलोजिकल से संस्थानिक किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण में कार्यात्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	
19	115.19	Apporovel of Appointment of Project management consultant for proposed ICC on Ajmer road, Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से PDCOR को consultant नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन का निर्णय लिया गया।	Director (Project)	
20	115.20	शहरी जमाबन्दी (लीजमनी) देयता की तिथि का निर्धारण करने हेतु।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ऐसे प्रकरण जिनमें जविप्रा द्वारा सम्यति का कब्जा देने की स्थिति में नहीं हो, को छोड़कर शेष प्रकरणों में मुखण्ड/सम्यति का कब्जा देने की स्थिति के स्थान पर शहरी जमाबन्दी (लीजमनी) को मांग पत्र की तिथि से देय माना जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावे। संशोधन प्रावधान राज्य सरकार से अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी माना जावेगा।	अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्यति निस्तारण)	

...	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
21	115.21	मै.जी.टी.एम. बिल्डर्स एवं प्रमोर्स प्रा.लि. (केला कम्पनी) ने जयपुर विकास प्राधिकरण से दिनांक 21.12.05 को रामसिंहपुरा सांगानेर स्थित संस्थानिक भूखण्ड सं. 3 क्षेत्रफल 11965 वर्ग मीटर दर 5600/- रु. प्र. व.मी. से कय किया। इसी व.मी. ने दुसरा भूखण्ड दिनांक 21.12.05 को विद्याधर नगर में इकोलोजिकल जोन में रिसोर्ट के लिये 15000 वर्गमीटर क्षेत्रफल का दर 3100/-रु. प्र.व.मी. से कय किया था के संबंध में विद्याधर नगर कय रिसोर्ट भूखण्ड की राशि रामसिंहपुरा सांगानेर में कय संस्थानिक भूखण्ड में सामयोजित करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् फर्म द्वारा जमा राशि का समायोजन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया। प्रकरण को कार्यान्तर रीतीकृति हेतु अर्द्धसमि अधोरीटी की बैठक में भी रखा जावे।	अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण)	
22	115.22	राज. पथ परिवहन निगम को बस स्टैण्ड हेतु ग्राम चैनपुरा तहसील सांगानेर आश्रम रोड की आवंटित भूमि की लोटायी गयी राशि पर 8 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत ब्याज दिये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्वीकृत किया गया तथा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन/नीलामी में दिये गये भूखण्ड, जिनका आवंटन/नीलामी किसी कारणवश प्राधिकरण द्वारा निरस्त की जाती है तो उनकी जमा राशि पर जमा तिथि से 9 प्रतिशत ब्याज दिये जाने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण)	
23	115.23	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम सारंगपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 128, 129/796, 130/797, 137, 113, 125, 126, 127, 123/790, 129/791 किता 10 रकबा 1.57 है अर्थात 15700 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यक किये जाने के संबंध में। (फलेमिगो इनफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम सारंगपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 128, 129/796, 130/797, 137, 113, 125, 126, 127, 123/790, 129/791 किता 10 रकबा 1.57 है अर्थात 15700 वर्ग मीटर भूमि में से सडक सीमा में आने वाली 1472.78 व.मी. व प्लान्टेशन कोरीडोर में आने वाली 2039.27 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 12187.95 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11	
24	115.24	जविप्रा द्वारा अनुमोदित मोती भवन गृ.नि.स.स. की योजन हनुमान नगर के भूखण्ड सं. डी-236 क्षेत्रफल 555.55 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यक किये जाने के संबंध में। (सतीश चन्द्र मेहता)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण में सैटबैक वाणिज्यक के अनुसार रहेंगे की शर्त के साथ भूखण्ड सं. डी-236 क्षेत्रफल 555.55 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यक किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना) / जोन-7	
25	115.25	मै. जयपुर बिल्डफार्म्स प्रा.लि. को भूखण्ड सं. 2 गोविन्दपुरा कालवाड रोड योजना में कय किये गये भूखण्ड की राशि देरी से जमा कराने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण का अनुमोदन किया गया।	अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण)	
26	115.26	मै. जयपुर लैण्डमार्क प्रा.लि. को भूखण्ड सं. 3 गोविन्दपुरा कालवाड रोड योजना में कय किये गये भूखण्ड की राशि देरी से जमा कराने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण का अनुमोदन किया गया।	अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण)	
27	115.27	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम खो रेवारियान तहसील सांगानेर के खसरा नं. 3292 से 3295 रकबा 1.33 है0 एवं ग्राम भावगढ बन्धा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 145, 146, 147मी., 155, 156, 165, 166, 167, 168, 169, 174, 175, 177, 180, 182, 146/742, 146/745, 146/750 रकबा 12.17 है0 कुल रकबा 13.50 है0 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय एवं मिश्रित से संस्थानिक (सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक) प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (सदीप बक्षी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किया गया। प्रकरण में पूर्ण जांच कर आगामी बैठक में पेश किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-10	

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट																	
28	115.28	Providing, Laying & Joining of lateral sewer lines in unapproved colonies of JDA twara area.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जोनल अभियन्ता (PHE-II) के प्रस्ताव के अनुसार मै० विरेन्द्र कन्सट्रक्शन कम्पनी की प्राप्त निविदा राशि 29278759.31 का अनुमोदन किया गया।	Zonal Engineer (PHE-II)																		
29	115.29	Approval of tenders for Sewerage Works sanctioned under JNNURM.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जोनल अभियन्ता (PHE-I) के निम्न प्रस्ताव के अनुसार प्राप्त दरो का अनुमोदन किया गया <table border="1" data-bbox="1090 347 1917 688"> <thead> <tr> <th rowspan="2">S.No.</th> <th rowspan="2">Name of Tenderer</th> <th colspan="2">Quoted rates</th> <th rowspan="2">Total Amount Rs.</th> </tr> <tr> <th>Part A</th> <th>Part B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>M/s. Rajdhani Construction Co.</td> <td>@27.25%</td> <td>@15.00%</td> <td>32192677.06</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/s. Raghuvver Saran Gupta</td> <td>@24.90%</td> <td>@19.00%</td> <td>35775205.44</td> </tr> </tbody> </table>	S.No.	Name of Tenderer	Quoted rates		Total Amount Rs.	Part A	Part B	1.	M/s. Rajdhani Construction Co.	@27.25%	@15.00%	32192677.06	2.	M/s. Raghuvver Saran Gupta	@24.90%	@19.00%	35775205.44	Zonal Engineer (PHE-I)	
S.No.	Name of Tenderer	Quoted rates				Total Amount Rs.																
		Part A	Part B																			
1.	M/s. Rajdhani Construction Co.	@27.25%	@15.00%	32192677.06																		
2.	M/s. Raghuvver Saran Gupta	@24.90%	@19.00%	35775205.44																		
30	115.30	Approval for restoring the work order in favour of M/s Shiva Advertising Co. for the work "Providing, Fixing & Maintenance of Over Head Signages and Bus Shelters on roads of JDA region on BOT basis."	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण को स्थगित किया गया तथा निदेशक (वित्त) से पूर्ण परीक्षण कराकर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	Zonal Engineer-7																		


 सचिव,
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर